फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022"

अर्जनराम बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट   न.मु.– 282 / 2022   GCMS No. – 2022/163

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री अर्जनराम पुत्र परतूराम जाति जाट निवासी साण्डन तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही साण्डन जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 95 में कंवरी पत्नि परतुराम तथा खाता संख्या 97 व 225 में केशरदेवी पत्नी परतुराम दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी की माता का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार भंवरी देवी पत्नी परतुराम है। प्रार्थी की माता का नाम भंवरी पत्नी परतुराम किये जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपतहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपतहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही साण्डन की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 95 में कंवरी पत्नि परतुराम तथा खाता संख्या 97 व 225 में केशरदेवी पत्नी परतुराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की माता का नाम भंवरी देवी पत्नी परतुराम शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात एवं उपतहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही साण्डन तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2074–2076 में नया खाता संख्या 95, 97 व 225 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–	

क्रं.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	साण्डन	95 (नया) 97 (नया) 225 (नया)	**कंवरी पत्नि परतुराम जाति जाट निवासी साण्डन** **केशरदेवी पत्नि परतुराम जाति जाट निवासी साण्डन**	**भंवरीदेवी पत्नि परतुराम जाति जाट निवासी साण्डन**

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को लिखाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.01.09 12:58:18 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़